विधी के क्षेत्र की हिंदी

एन.टी. भागवत
(अध्यक्ष, हिंदी विभाग) कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, शंकरनगर, ता. बिलोली जि. नांदेड

भारतीय स्वतंत्रता की पासवी वर्षगांठ के बाद भी राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और राज्यभाषा के संपूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में देशभर में चर्चाएँ चल रही हैं | स्वराज्य के साठ सालों के बाद भी यही हाल है तो इसे किस तरह का सुराज कहा जा सकता है ? क्योंकी लोकतंत्र में नागरिक के स्वाभिमान और उसकी स्वाधीनता का तकाजा यह है कि राष्ट्र के सारे कार्य-कलाप अपनी भाषा में संपन्न हों | यह तकाजा वास्तव में विधी क्षेत्र की हिंदी पर भी लागू होता है | विधी क्षेत्र में हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के विषय में हम जर पूर्वेतिहास पर नजर डालेंगे | न्याय के शासन में विश्वास बनाये रखने के लिए और सर्वोपरी जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता को, न्याय उसकी भाषा में ही दिया जाए ताकि वह खुद उसे अच्छी तरह समझ सके | जब देश की कुल जनसंख्या का पाँच प्रतिशत भी अंग्रेजी भाषा सही ढंग से समझ न सके, तो सर्वथा उचित यह है कि पंचानवे प्रतिशत की समझ में आनेवाली भाषा में न्याय शासन की व्यवस्था हो |

तीन शताब्दियों से पूर्व कंपनी सरकार के समय सन 1797 ई. के पार्लियामेंट विधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि भारत संबंधी विधी के अनुवाद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हों |

तिन शताब्दियों से पूर्व कंपनी सरकार के समय सन 1797 ई. के पार्लियामेंट विधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि भारत संबंधी विधी के अनुवाद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हों | सन 1803 ई. में इस आदेश की पुनरावृत्ती की गई थी | पर सन 1830 ई. मे ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पार्लियामेंट का यह आदेश हुआ कि न्यायालयो में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर दी जाए | इसके उत्तर में कंपनी ने अपना यह विचार रखा कि सामान्य रुप से क्षेत्रीय भाषा ही न्यायालय की भाषा रहे | उन्होने तर्क दिया कि, "इसमें संदेह नही है कि न्याय प्रशासन न्यायाधीश की भाषा में हो, किन्तु यह भी कम महत्वपूर्ण नही है कि यह ऐसी भाषा में हो जो मुकदमे के पक्षकारों, उनके अधिवक्ताओं और जनसाधारण की भाषा में हो | जनता व्दारा न्यायाधीश की भाषा सीखने की अपेक्षा न्यायाधीशव्दारा जनता की भाषा सिखना आसान है | इसके बाद मैकाले का जमाना आया | अंग्रेजी शिक्षा को बल देकर उसने सरकारी कामकाज के अंग्रेजीकरण के क्षेत्र में पहला कदम रखा | ब्रिटीश राजनीतिज्ञ रैम्जे मैकडोनाल्ड ने स्पष्ट रुप में लिखा- हम इस बात का प्रयत्न कर रहे है की भारतीय परंपराओंसे परिपूर्ण भारतीय मस्तिष्क में पश्चिमी सभ्यता को भर दें | हमने इस बात का प्रयास किया है की हम भारत में नवीन ऑक्सफोर्ड और ईटन का निर्माण करें | हमारा लक्ष्य भारतीय संस्कृती का विध्वंस करना रहा है | भारतीयों के मन में पश्चिमी संस्कृती के विचार जिस मात्रा में बढे वह वस्तुतः अत्यन्त भयावह है |

प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में, और उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती शासन व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं में ही न्याय- विचार हो रहा था | मुसलमानी शासन व्यवस्था में फारसी व हिन्दुस्तानी में न्यायशासन चल रहा था | महमुद गजनवी ने अपने सिक्के में हिजरा 418 में ये वाक्य खुदवाये थे |

अव्यक्तमेकम् महमूद अवतार नृपति महमूद |
अयम् महमूद पुरे घटित हिजरायने संवति 418

(महमूदपुर- लाहौर)

न्याय के मामलों में जनभाषा का व्यवहार करने की आस्था वर्तमान जनतंत्र शासन में कम हो गयी है, पुराने राजघराने और विदेशी सरकारे भी जनभाषा के अनुकूल ही रही | संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित करनेवाली सरकार ने उन पंद्रह वर्षों की अवधि की अवधि के पूर्ण होने से पहले ही सन 1963 के अधिनियम में यह घोषित कर दिया कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में की जाए | परिणाम यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा अनिवार्यत : अंग्रेजी हो गयी | स्वाभाविक रुप से न्यायालयां की भाषा हिन्दी बनाने की और लगन कम होती गयी | इतिहास की इन बातों को छोड अब हम आज की सच्चाइयों की परीक्षा करेंगे | वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जो 1961 में स्थापित हुआ था, अन्याय विषयों के क्षेत्र में जोरदार काम किए और प्रचुर मात्रा में तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण किया | राजभाषा विधायी आयोग, जो विधी मंत्रालय के अन्तर्गत 1961 में स्थापित हुआ, विधि के क्षेत्र में बहूत महत्वपूर्ण काम किया है | वस्तुतः विधी की भाषा और साहित्य की भाषा में बहुत अंतर होता है | क्योंकी विधि और साहित्य दोनों का उद्देश अलग-अलग होता है | साहित्य का उद्देश मनोरंजन अथवा ज्ञान प्रसार हो सकता है, पर विधी मनोरंजन या ज्ञान प्रसार का साधन नहीं है | विधी का कार्य आदेशात्मक होता है और मानव आचरण के विनियमन के लिए होता है | विधी तकनीकी होती है और इसमें मानव के जीवन-मरण के बीच की रेखा शब्दों में अंकित की जाती है | अतः उसका क्लिष्ट होना स्वाभाविक है | विधि की भाषा में शब्दों के प्रयोग में असामान्य सावधानी और सुक्ष्मता की आवश्यकता होती है | विधि व्दारा उद्दिष्ट अर्थ की प्रधानता को मानते हुए भी उस अर्थ को

अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्दों का भी विशेश महत्व होता है | दोनों ओर ध्यान रखते विधी साहित्य का अनुवाद करना आसान काम नही हैं | इसीलिए अब तक हुए अनुवाद कार्य का मूल्यांकन करते हुए हिन्दी प्रेमियोंका भी यह आक्षेप है की इस हिन्दी से तो अंग्रेजी ही भली | यह वास्तव में हिन्दी के लिए बडे दुर्भाग्य की बात है | अत: इस आक्षेप पर गंभीरता से विचार करना होगा | विधी क्षेत्र की भाषा की क्लिष्टता पर किया जानेवाला आक्षेप कुछ भ्रांतिपूर्ण है और कुछ सत्य पर आधारित | पहले हम भ्रांतियों को रेखांकित करेंगे |

1. तकनीकी विषय तो तद्विषय पर्याप्त ज्ञान अथवा अभ्यास के बिना सर्वत्र सरलता से समझ में नही आते | गणित, पदार्थ, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि इसके उदाहरण है | गैर तकनीकी साहित्य या वेदान्त विषयों में भी एक हद तक यह बात सच होती है | विधि तो ऐसी तकनीकी है जिसमें बडे सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता होती है | यह विषय जन साधारण या आम फहम् भाषा में समा नहीं सकता | इसी में एक प्रयास डॉ. सुन्दरलाल ने किया था | उन्होने जनसाधारण की भाषा में विधी के अनुवाद का प्रयत्न किया, पर उनका अनुवाद हास्यापद हो गया |
2. तकनीकी क्षेत्र के विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता होती है, कभी-कभी विदेशी शब्दों की भी | जनसाधारण की भाषा इतनी सक्षम नही होती कि वह विशिष्ट विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर सके |

   Statute, Enactment, Act, Ordinance, Bill, Rules, Regulations आदि के लिए जनसामान्य की भाषा में प्रतिशब्द मिला असंभव है | तब इनके लिए अलग शब्द बनाना अनिवार्य होता है |
3. तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त होकर कुछ शब्द विशीष्ट अर्थ ग्रहण कर लेते है | सावधान Action, Shall और May को लेकर न्यायालयों मे जो बहस हुई थी प्रसिध्द है ही |
4. विधी जनसाधारण के लिए बनाई जाती है, यह सही है ; पर विशेषज्ञोंव्दारा उसका अर्थ लगाया जाता है | नही तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना होती है | तथा कथित सरल भाषा का प्रयोग करके अनर्थ करने की अपेक्षा अथवा संदिग्ध बना देने की अपेक्षा समझने के लिए जरा कठिन या क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्थ को निश्चित और असंदिग्ध बनाना ही श्रेष्ठ है |
5. उर्दू या अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को उसी रुप में अपना लें जैसे जमानत, करार, वसीयत, कैफियत, कलेक्टर, फिस, डयुटी, रजिस्ट्री, वारंट | हमें यह नही भुलना चाहिए कि जो विधी हम बनाते है : वह हमारे लिए न होकर आगे आनेवाली पीढी के लिए भी है ; आगे कि पीएी उर्दू या अंग्रेजी की जानकर होगी, इसकी आशा हम कैसे कर सकते है ? अंग्रेजी या उर्दू के शब्दों की व्युत्पति सिखाकर अर्थ समझाना मुश्किल हो जायेगा | उदाहरणार्थ- विबन्ध एक विशेष प्रकार का बंधन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पहले कही बात से मुकरने की अनुमति नही होती | अंग्रेजी- में इसे Estoppel कहते है | अत: तात्कालिक रुप से अंग्रेजी उर्दु शब्द अपनाने में हर्ज नही है ; पर उनके लिए हिन्दी शब्द बना लेना ही उचित होगा |
6. हिन्दी अखिल भारतीय भाषा है | अत: भारत की अन्य भाषाओं का भी हमें ध्यान रखना होगा | उर्दू का राजीनामा शब्द कुछेक भाषाओं में Compromise होता है, कुछ अन्य भाषाओं में Resignation तो अपनी आवश्यकता के अनुसार नये शब्द बना लेना ही श्रेयस्कर होगा |
7. एक शब्द से अन्य शब्द बनाते समय औचित्य का ध्यान रखना पडता है | शब्दों के साथ उपसर्ग प्रत्यय नाते-रिशते की शब्दावली, अभिवादन प्रणालियों आदि | Good-Night -शुभ रात्री |

प्रत्येक समाज की विचार प्रणाली के अनुसार ही सूक्ष्म अर्थों के लिए गठन होता है | भारतीय वेदान्ती चिंतन पध्दतीपर आधारित संस्कृत शब्दावली से हिन्दी के शब्दों का विकास हुआ था | अंग्रेजी में शब्दों का विकास उनकी अपनी चिंतन पध्दति के आधार पर हुआ था | हमने स्वातंत्र्योत्तर भारत में राजभाषा हिन्दी को स्थान तो दिया, पर सारे व्यावहारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी शब्दों के प्रति शब्द ढूँढ निकाले, अथवा गठित किए | विधी के क्षेत्र में तो हमने इंग्लैंड में, उनकी चिन्तन पध्दति के आधार पर बनी विधी को उसी रुप में अपना लिया | इस क्षेत्र में भारतीय चिन्तन पध्दति का आधार छूट गया और भारतीय शब्दावली को स्वाभाविक रुप से विकसित होने का अवसर प्राप्त नही हुआ | आध्यात्मिक और सात्विकता का स्थान पार्थिवता ने ले लिया | विधि के मामलों में भाषा में सोचने का अवसर ही नही रग गया है | मूल लेखन हिन्दी में नही होता | हिन्दी यँहा पर अनुवाद की भाषा मात्र बनकर रह गयी है | सारे प्रारुप अंग्रेजी में तैयार होते है |

8. मूल रुप से अंग्रेजी में तैयार होने पर वे He और She में अन्तर कर लेते हैं | 'पढता, पढती' में- क्रिया रुपों में - अंतर कर नहीं पाते | वही चीज हिन्दी में अनुदित होकर -हिन्दी में He और She 'वह' में समाहित हो जाता है 'reads' की व्दिधा करना पडता है | यह तो एक छोटा-सा उदाहरण है | अंग्रेजी में एक प्रयोग है 'Cause death' इसके स्थान पर 'मार डालना', 'हत्या करना', 'मृत्यु का कारण बनना' आदि से कोई उचित और सही अर्थ नही निकलता | अत: 'मृत्यु कारित करना' रुप गठित किया गया है, जो हिन्दी की प्रकृत्ती के अनुसार नितांत अस्वाभाविक लगता है | पर हमें 'Cause death' का ही रुप चाहिए |

9. सरकार योजनाबध्द कार्यक्रम के अनुसार विधि साहित्य ग्रंथो का, दस्तावेजों का काफी मात्रा में अनुवाद हो चुका है, और अब भी जारी है | गैर-सरकारी स्वतंत्र प्रकाशकोंव्दारा भी अनुवाद और प्रकाशन कार्य हो रहा है | मूलपाठ अंग्रेजी में होने से अनुवाद कार्य स्वाभाविक हिन्दी में न होकर जोडते हुए भाषा सामंजस्य देखना पडता है | 'कानून-पूर्ण', 'जघन्य कत्ल', 'मियाद बाह्म ऋण', आदि शब्द गढना अनुचित होगा |
10. विधी संबन्धी साहित्य में- अधिनियम, संविधी आदि-कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहनी होती है | साथ ही ध्यान रखना होता है कि अर्थ के विषय में कोई दुविधा भी न रहे | निर्णय, लेख आदि तो कम तकनीकी होते है, उनमें प्रचलित शब्दों का, कम तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है | विषय के अनुसार भाषा को सरल, स्वाभाविक बनाया जा सकता है |
11. सामान्य विषयों का विधीक होना जब अनिवार्य हो जाता है, तब सामानय भाषा से विधिक भाषा की और झुकना पडता है | ऐसे अवसरों पर मुख्य रुप से हिन्दी भाषा की जननी संस्कृत का ही सहारा लिया जाता है | विधी शब्दावली, विधि साहित्य का अनुवाद आदि के सिलसिले में जितनी भी समितियाँ बननी सबने उन्नत संस्कृत शब्दों का ही चयन किया |
12. 'आम फहम' भाषा के शब्द अक्सर क्षेत्रीय होते है, क्षेत्र के बाहर उनका अर्थ या तो समझा नहीं जाता अथवा अन्य अर्थ में समझा जाता है | ऐसी स्थिती में विधि जैसे विषयों में शब्दों का मानक होना जरुरी होता है |
    आगे हम क्लिष्टता के आक्षेप के सत्य आधारों पर विचार करेंगे |
13. प्राय : यह देखा जाता है कि विधि क्षेत्रीय भाषा सामान्य भाषा से भिन्न और अस्वाभाविक लगती है | शब्द-प्रयोग, पद-विन्यास, आदि सब विशिष्ट, विचित्र और कभी अटपटे भी लगते हैं | सामानय रुप से हम जिस भाषा में लिखना चाहते है, उसी भाषा में सोचा करते है, उसी भाषा की अभिव्यक्ती शैली का व्यवहार करते है | हर भाषा के शब्दों का अपनी संस्कृति से संबंध होता है, एक भाषा के शब्दों के दुसरी भाषा में पर्याय नही होते है, उदाहरणार्थ-भिन्न-भिन्न भाषाओं में कुशल-क्षम के तरीके, भारतीय भाषाओं में तू, तुम, आप के स्तर भेद के शाब्दिक स्तर पर ही हो पर रहा है |
14. अब तक जितने अनुवाद कार्य हुए हैं, उनका व्यावहारिक रुप में उपयोग भी नही होता | अधिवक्ता या न्यायाधीश मुकदमे के पक्षघरों से आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषा में बातचीत कर लेते है, पर वे आपस में अंग्रेजी में ही चर्चा करने को बाध्य है ; निर्णय न्यायाधीश्या को अंग्रेजी में ही लिखना पडता है |
15. शाब्दिक अनुवाद भाषा के विकास में घातक होता है | भाषा कभी इस मामले में अपने पैरों पर खडी नही हो सकेगी | विदेशी भाषा की दासता में बंधे रहना ही विधी साहित्य की 'विधि' रही है |
    हिन्दी की इस दुरुहता और क्लिष्टता से बचने के उपाय क्या है ?
16. शिक्षा के स्तर भी हिन्दी माध्यम बनाया जाए | चर्चा के, विवेचन के अधिक अवसर प्राप्त हो जाएँ |
17. मूल रुप से प्रारुपण के स्तर से हिन्दी प्रयोग का अभ्यास प्रारंभ हो |
18. हिन्दी में जहाँ शब्द सामर्थ्य अधिक हो, वहाँ अंग्रेजी पर्याय न होने पर भी औचित्य के अनुसार उपयोग किया जाए |
19. शाब्दिक अनुवाद के पीछे न पडकर भाव को प्रधानता दी जाए |
20. अधिवक्ता, न्यायाधीश तथा इस क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ता हिन्दी में व्यवहार व वाद-विवाद के अवसर बनाए जाएँ -तभी दुरुहता दूर करने, क्लिष्टता हटाने तथा सरलता-सुबोधता लाने के मार्ग प्रशस्त होंगे |